

5000
आधिवक्ता
गुलाम
काश

जज

मासिक या त्रैमासिक
अवकाश को प्राप्त
हुकम की तारीख
दे जारी हुए

दिनांक

26/1/25

पत्रावली पेश हुई। अतः) पत्रावली में वादी की साक्ष्यवादी पेश करने हेतु आरिज अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 6/6/25 को पेश हो।

26/1/25

6/6/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधि-अतः) साक्ष्यवादी अतः) वादी को साक्ष्यवादी उत्तर करने हेतु 500 रु की (अदमे पंच सा क) की आरिज पर अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 8/7/25 को पेश हो।

8/7/25

8/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधि-अतः) वादी एवं वादी अधिवक्ता को त्रिपक्षानुसार तीन बार आवजे लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से न्यायालय में पुनः एक बार आवाप लगावाई गई। समग्र 5000 रु हो चुका है। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा उत्तर वाद जब अन्तर्गत धारा 53 शपथान काश्तकारी अधिनियम की अदम टावरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निष्पत्ति से इजलास सुनाया गया। रिक्ती पर्चा जारी हो पत्रावली कैलल शुमार लेकर दायरेल दफ्तर ही तथा नम्बर के कम हो।

8/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मुकेश कुमार पुत्र मांगी लाल माली आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 3 माली मोहल्ला, पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र छोटू लाल माली आयु वयस्क निवासी माली मोहल्ला, पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कालूराम पुत्र शंकर माली आयु वयस्क निवासी माली मोहल्ला पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गोविन्द माली पुत्र छोटू लाल माली आयु वयस्क निवासी माली मोहल्ला पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 04/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मंजूर मोहम्मद अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 08.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा